# डिस्कलेमर

**अंतरिम आदेश संख्या 35/2022-23 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।**

**ऐरा /20019/सीजीएफ-जी/2010-11/खंड–VIII (खंड फाइल)/**

**भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण**

*****

**आदेश संख्या 35/2022-23/**

ऐरा भवन,
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली– 110003

**जारी करने की तारीख: 30.12.2022**

**कार्गो हैंडलिंग, ग्राउंड हैंडलिंग और विमान में ईंधन की आपूर्ति करने वाले स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं/हवाई अड्डा प्रचालकों द्वारा प्रदान की जाने वाली वैमानिक सेवाओं के आर्थिक विनियमन संबंधी दिनांक 23.09.2022 के आदेश संख्या 24/2022-23 के मामले में – मौजूदा टैरिफ 31.03.2023 तक बढ़ाना।**

प्राधिकरण ने दिनांक 23.09.2022 के अंतरिम आदेश संख्या 24/2022-23 द्वारा मैसर्स कॉनकॉर एयर लिमिटेड (सीएएल) के संबंध में मौजूदा टैरिफ (30.09.2022 को विद्यमान) तदर्थ आधार पर आगे 31.12.2022 तक बढ़ाने के लिए अनुमोदन किया था।

2. 23.09.2022 को उपर्युक्त अंतरिम आदेश जारी होने के पश्चात मैसर्स कॉनकॉर एयर लिमिटेड (सीएएल) ने दिनांक 28.12.2022 की ई-मेल द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किया है:

(i) कि मुम्बई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (हवाईअड्डा प्रचालक) ने दिनांक 19.12.2022 के अपने पत्र संख्या मायल/कार्गो/कॉनकॉर /2022-23 द्वारा सहायता की अवधि 31.03.2023 तक और बढ़ा दी है और मैसर्स सीएएल से अनुरोध किया है कि वह अपने कार्गो हैंडलिंग प्रचालन 31.03.2023 तक जारी रखे।

(ii) सीएसएमआईए, मुम्बई में अपने कार्गो हैंडलिंग प्रचालन की अवधि 31.03.2023 तक बढ़ाए जाने को देखते हुए मैसर्स सीएएल प्राधिकरण से अनुरोध करती है कि वर्तमान टैरिफ (31.12.2022 को विद्यमान) की अवधि 31.03.2023 तक बढ़ाई जाए।

3. प्राधिकरण ने सीएएल द्वारा सीएसएमआईए, मुम्बई में अंतरदेशीय कार्गो हैंडलिंग प्रचालन जारी रखने के लिए हवाईअड्डा प्रचालक और स्वतंत्र सेवा प्रदाता के बीच मौजूदा व्यवस्था की अवधि बढ़ाने को ध्यान में रखकर आईएसपी के अनुरोध की जांच की और 31.12.2022 को लागू टैरिफ की अवधि अगले तीन माह अर्थात 31.03.2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।

## आदेश

उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकरण भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) (ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा आदेश देता है कि :-

मैसर्स कॉनकॉर एयर लिमिटेड को 31.12.2022 को लागू मौजूदा टैरिफ की वसूली **01.01.2023 से 31.03.2023 तक** अगले तीन (03) माह तक के लिए जारी रखने की अनुमति दी जाती है।

**प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता**

**(राम कृष्ण)**
**निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी)**

**सेवामें,**

श्री अतुल राणे,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कॉनकॉर एयर लिमिटेड,
सांताक्रूज एयर कार्गो टर्मिनल, (एसएसीटी)
मिलन सबवे के निकट, ऑफ वेस्टर्न ,
एक्सप्रेस हाईवे, विले पार्ले (पूर्व),
मुम्बई-400099

**प्रतिलिपि :**

1. सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003 को सूचनार्थ;

2. श्री प्रकाश तुलसैनी, सीईओ, मुम्बई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, (मायल), सीएसएमआई हवाईअड्डा, पहला तल, टर्मिनल 1, साताक्रूज (पूर्व), मुम्बई -400099